उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-2
संख्या- 3/2020/808(2)/53-2-20-2(38)/2015
लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2020

शासनादेश संख्या-11/2020/615/53-2-20-2(38)/15, दिनांक 24 अगस्त, 2020 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-83, जिला योजना-एस0सी0पी0) प्राविधानित धनराशि रू0 138.72 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 69.36 लाख (रू0 उन्हत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर- 1(4) में "स्वीकृत की जा रही धनराशि से दवाओं/सामग्री का क्रय निर्धारित प्रक्रिया व मानकों के अनुसार किया जायेगा ", अंकित है।

2- अत: उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 2020 के प्रस्तर- 1(4) में अंकित "सामग्री" का आशय पी0सी0डी0एफ0 के पशुआहार निर्माणशालाओं द्वारा निर्मित "पशुआहार एवं मिनरल मिक्चर" है।

3- तदनुसार शासनादेश संख्या-11/2020/615/53-2-20-2(38)/15, दिनांक 24 अगस्त, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश दिनांक 24 अगस्त की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(रविशंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या- 3/2020/**808(3)/53-2-2020, तददिनांक।**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8- सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी/ इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3/ समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
11- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0/सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
12- सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी।
13- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in